रजिस्ट्री सं. डी.एल. -33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 1992/भाद्र 2, 1914
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 1992/BHADRA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1992

सं 259/92 – सीमाशुल्क

सा. का नि 732(अ) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह

समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 70.19 के अन्तर्गत आने वाले कांच फाइबर सिलाई धागा और कांच फाइबर फिल्टर कपड़ा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त आयातित माल" कहा गया है) को प्रदूषण नियंत्रण परियोजनों के लिए आशयित माल के विनिर्माण के लिए जब उसका भारत में आयात किया जाए, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय प्रतिकारी शुल्क के उतने भाग से जितना मूल्य के 5.75 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता इस प्रयोजन का बचन देता है कि :—

(क) उक्त आयातित माल का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा;

(ख) वह 3 मास की अवधि या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो सहायक सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, पर्यावरण और वन मंत्रालय के उप सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया इस प्रयोजन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उक्त आयातित माल से विनिर्मित माल प्रदूषण नियंत्रण प्रयोजनों के लिए आशयित है, और

(ग) वह शर्त (क) और (ख) का अनुपालन करने में असफल रहने की दशा में मांग किए जाने पर, उतना रकम का संदाय करेगा जो यदि इसमें अन्तर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, उक्त आयातित माल को ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच अन्तर के बराबर है।

[फा. सं. 332/13/92 – टी आर यू]

पवन कुमार जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 1992

No. 259/92-CUSTOMS

G.S.R. 732(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass fibre sewing thread and glass fibre filter cloth (hereinafter referred to as the "said imported goods") falling under heading 70.19 of the First

Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of goods intended for pollution control purposes, from so much of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 5.75 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that—

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above ;

(b) he shall produce a certificate issued by an officer not below the rank of a Deputy Secretary in the Ministry of Environment and Forests to the effect that the goods manufactured from the said imported goods are intended for pollution control purposes, within a period of 3 months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow and

(c) he shall pay on demand, in the event of his failure to comply with conditions (a) and (b), an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F No. 332|13|92-TRU]

PAWAN KUMAR JAIN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992